Mona
Assistant Professor (Guest Faculty)
Department of Economics
Maharaja College
Veer Kunwar Singh University, Ara
B.A. Economics
B.A.Part - 2
Paper-4
Topic-अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त
Email address: monapryal2223@gmail.com

अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त :
(Principle of Maximum Social Advantage)

राज्य की राजकोषीय क्रियाएँ किसी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती हैं। सरकार द्वारा आय प्राप्ति के लिए किये गए उपाय (करारोपण) तथा सार्वजनिक व्यय का देश में उपभोग, उत्पादन तथा वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अतः हमारे पास कुछ मानदण्ड होने चाहिएँ जिससे हम पता लगा सकें कि करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण जो लिये गये हैं वह उचित हैं या नहीं क्योंकि सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग की क्रय शक्ति में अनेक आदान-प्रदान होते हैं तथा यह ही सार्वजनिक आय का स्वरूप ले लेते हैं। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में ऐसे मानदण्ड जनता के आर्थिक कल्याण के सूचक हैं। यदि राज्य की क्रिया से आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है तो वह क्रिया उचित है और यदि नहीं तो वह अनुचित है। डाल्टन का मत है कि "कोई व्यय उत्पादक है या नहीं, इसकी जाँच उस व्यय की आर्थिक कल्याण की उत्पादकता से ज्ञात होती है। जैसे-शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय प्रायः व्यक्तिगत भोग-विलासों एवं नवीन पूंजी माल पर किये जाने वाले व्यय की अपेक्षा अधिक उत्पादक एवं कल्याणकारी होता है। राज्य की नीति के इस निदेशक सिद्धान्त को डाल्टन ने "अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त" कहा है। प्रो० पीगू ने इसे "अधिकतम कुल कल्याण" (Maximum Aggregate Welfare) का सिद्धान्त कहा है। इस सिद्धान्त को "राजस्व का सिद्धान्त" भी कहा जाता है।

सिद्धान्त की व्याख्या **(Explanation of Principle)**

-इस सिद्धान्त का प्रतिपादन ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रो० डाल्टन ने किया। प्रो० डाल्टन के अनुसार, "राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे सरकार अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करती है।"2 इस प्रकार अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त के अनुसार सरकार की वित्तीय क्रियाओं का उद्देश्य सामाजिक लाभ को अधिकतम करना होता है।

एक ओर सरकार सार्वजनिक आय 'करों' के रूप में जनता से लेती है जो कि समाज के कुछ वर्गों (धनी) पर लगता है तथा दूसरी ओर सार्वजनिक व्यय के रूप में सरकार जनता के दूसरे वर्ग (निर्धन) पर समाज कल्याण के कार्यों के रूप में; जैसे-निःशुल्क शिक्षा, सस्ता राशन, चिकित्सा, आवास, पेंशन (वृद्धावस्था एवं विधवा आदि) व्यय करती है।

सरकार जिस वर्ग (उच्च वर्ग) पर कर लगाती है उन्हें असन्तुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि उन्हें त्याग करना पड़ता है, जबकि जिन व्यक्तियों पर यह व्यय किया जाता है उन्हें लाभ मिलता है अर्थात उन्हें सन्तुष्टि प्राप्त होती है। जैसे-जैसे करों में वृद्धि की जाती है करारोपण की प्रत्येक अगली इकाई से होने वाली हानि अर्थात् सीमान्त अनुपयोगिता बढ़ती जाती है। दूसरी ओर जैसे-जैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है वैसे-वैसे व्यय की सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है, क्योंकि व्यक्तियों की आय माचक्ष। या परोक्ष रूप से वृद्धि हो जाती है जिससे आय की सीमान्त उपयोगिता कम होती जाती है।

अतः इस सिद्धान्त के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की जाती है कि सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता करदाता की सीमान्त अनुपयोगिता के बराबर हो। यहीं बिन्दु सन्तुलन का बिन्द होता है। यदि सरकार अपनी आय और व्यय सम्बन्धी क्रियाओं को इस अधिकतम सामाजिक लाभ के बिन्दु से पूर्व ही रोक देती है या इससे आगे बढ़ती है तो समाज को अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त नहीं होगा।

<u>चित्र द्वारा स्पष्टीकरण-</u>

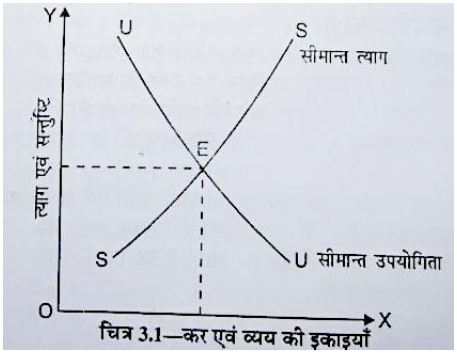

चित्र 3.1—कर एवं व्यय की इकाइयाँ

प्रस्तुत चित्र में **OX** रेखा पर कर एवं व्यय की इकाई तथा **OY** रेखा पर त्याग एवं सन्तुष्टि की इकाइयाँ दिखाई गई हैं। **UU** रेखा उपयोगिता रेखा है जो सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता को दर्शाती है। यह रेखा बताती है कि सार्वजनिक व्यय बढ़ने पर सीमान्त उपयोगिता की मात्रा कम हो जाती है। **Ss** रेखा त्याग रेखा है जो कर से उत्पन्न त्याग को बताती है। यह रेखा बताती है कि कर वृद्धि से क्रमशः त्याग बढ़ता है। **E** बिन्दु पर ये दोनों रेखाएँ मिलती हैं। यही आदर्श बिन्द है जहाँ पर सीमान्त त्याग तथा सीमान्त सन्तुष्टि बराबर हैं। यहीं सामाजिक लाभ अधिकतम होगा।

<u>निष्कर्षतः इस सिद्धान्त की तीन प्रमुख बातें हैं</u>

1 इस सिद्धान्त का मुख्य आधार समाज कल्याण है।

2. जिस बिन्दु पर करारोपण से होने वाले सीमान्त त्याग तथा व्यय से होने वाला लाभ बराबर है। वह बिन्दु ही अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिन्दु है।

3. इस सिद्धान्त के द्वारा सामाजिक आय तथा व्यय की सीमा निर्धारण की व्याख्या की जा सकती है।

कुल सामाजिक लाभ तथा कुल सामाजिक त्याग विधि-अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त को कल सामाजिक लाभ **(Total Social Benefit, TSB)** तथा कूल सामाजिक त्याग **(Total Social Sacrifies. TSS)** वक्र से भी समझाया जा सकता है। जब कूल सामाजिक लाभ तथा कल सामाजिक त्याग के बीच अन्तर अधिकतम होता है, तब अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होता है।

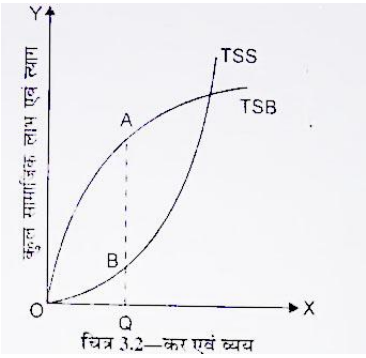

चित्र 3.2—कर एवं व्यय

उपरोक्त चित्र **3.2** में **TSB** वक्र कुल सामाजिक लाभ को तथा **TSS** वक्र कुल सामाजिक त्याग का वक्र है। इसके मध्य **A** तथा **B** बिन्दु पर इनमें अन्तर सबसे अधिक है अतः सरकार को **OQ** कर लगाकर इसे पुनः जनता पर व्यय कर देना चाहिए, तभी अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

लोक व्यय का वितरण-यदि व्यय करने के मद अधिक हों तो सरकार के सामने समस्या रहती है कि किस मद पर कितना व्यय किया जाये ? इसके लिए सरकार को व्यय विभिन्न मदों या उपयोगों पर इस प्रकार करना चाहिए कि इनसे प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि का स्तर समान हो अर्थात लोक व्यय का आधार समसीमान्त उपयोगिता नियम होना चाहिए।

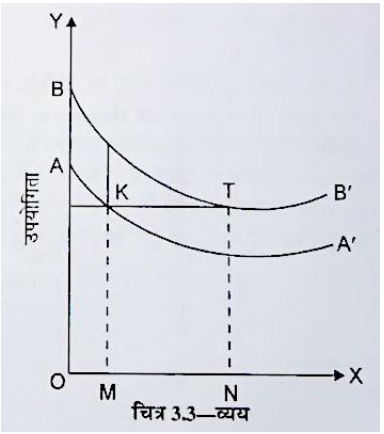

चित्र 3.3—व्यय

रेखाचित्र **3.3** में दो मद **A** तथा **B** को लिया गया है जब **A** मद पर व्यय किया जाता है तो **AA'** उपयोगिता वक्र प्राप्त होता है तथा जब **B** मद पर व्यय किया जाता है तो **BB** उपयोगिता वक्र प्राप्त होता है। यदि **OM** धनराशि **A** मद पर तथा **ON** राशि **B** मद पर व्यय की जाती है तो

अर्थात् **KM = TN**

कर भार का वितरण-सरकार के सामने एक और मुख्य प्रश्न होता है कि कर भार का वितरण समाज के विभिन्न वर्गों पर किस प्रकार किया जाये ? अधिकतम लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आगम (आय) से सामूहिक त्याग की मात्रा न्यूनतम तथा लोक व्यय से उपलब्ध कुल लाभ अधिकतम हो, किन्तु सीमान्त त्याग को न्यूनतम तभी किया जा सकता है, जबकि प्रत्येक करदाता पर करों का भार इस प्रकार पड़े कि प्रत्येक करदाता का सीमान्त त्याग बराबर हो।

<u>उदाहरण</u>-

माना **A** और **B** दो करदाता हैं और दोनों से एक-एक रुपया कर के रूप में लिया जाता है। यदि **A** पर पड़ने वाला अतिरिक्ति भार **B** की तुलना में अधिक है तो कर भार **A** पर कम करके **B** पर बढ़ाना उचित होगा और यह प्रक्रिया जब तक करनी होगी जब तक कि **A** तथा **B** पर सीमान्त भार बराबर न हो जाये।

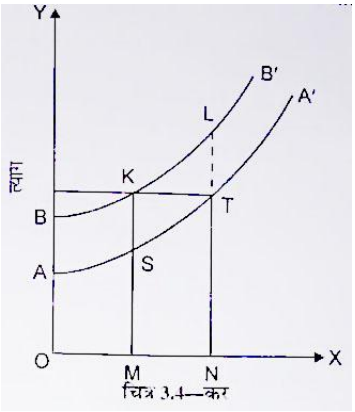

चित्र 3.4—कर

उपरोक्त चित्र **3.4** में **AA'** वक्र **A** पर कर लगाने के परिणामस्वरूप होने वाला सीमान्त त्याग वक्र है तथा **BB** वक्र **B** पर कर लगाने के परिणामस्वरूप होने वाला सीमान्त त्याग वक्र है। **A** से **OM** तथा **B** से **ON** कर वसूल किया जाता है तो दोनों का सीमान्त त्याग बराबर है।

निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि **MN** अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त दो मौलिक नियमों पर आधारित है

(1) सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम (Law of Diminishing Marginal Utility)

(2) समसीमान्त उपयोगिता नियम (Law of Equi-marginal Utility)

नियम का मूल सार निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।

1 विभिन्न दशाओं में होने वाले व्यय की सीमान्त इकाइयों से मिलने वाली सीमान्त उपयोगिता (लाभ) समान होनी चाहिए।

2. लोक व्यय से मिलने वाला सीमान्त लाभ लोक आगम से उत्पन्न सीमान्त त्याग के बराबर होना | चाहिए।

3. लोक आगम के विभिन्न स्रोतों पर पड़ने वाला सीमान्त भार बराबर होना चाहिए।